

(1)

प्रेषक,

हरि प्रकाश गुप्ता,  
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय संख्या-03, जिला बरेली।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,  
जनपद बरेली

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं० 14290/IV-3733/Admin (A-4) दिनांकित 03-11-2023 एवं पूर्व में प्रेषित पत्र सं० 5390/IV-3733/Admin (A) दिनांकित 02-04-2016 के संबंध में अनुपालन/स्पष्टीकरण आख्या।

महोदय,

सादर विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं० 15042/IV-3733/Admin. (A) दिनांकित 04.11.2015 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र दिनांकित 26.02.2016 (जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद के पृष्ठांकन संख्या 506/15 दिनांकित 27.02.2016) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के चल एवं अचल सम्पत्ति के विवरणपत्र (Property Statements) प्रेषित किये गये थे। जिनके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 5390/IV-3733/Admin (A) दिनांकित 02-04-2016 द्वारा कुछ विवरण/सूचना मांगी गयी थी। माननीय न्यायालय के उपरोक्त पत्रों के अनुपालन में आहूत सूचना/विवरण निम्नवत वर्णित है :-

1- उपरोक्त पत्र के बिन्दु सं.-1 में एल.आई.सी. इन्श्योरेंस की पॉलिसी संख्या 262750255 एवं पॉलिसी संख्या 263422434 के संबंध में विवरण मांगा गया है। उक्त इन्श्योरेंस पॉलिसी केवल जोखिम को कवर करने वाली पॉलिसी (Risk Covering Policies) मात्र थी जिनमें कोई भी निवेश (Investment) शामिल नहीं था। उक्त पॉलिसी मात्र किसी अनहोनी की स्थिति में लागू होती है। इस कारण मेरे इस सेवा में आने से पूर्व से जारी उक्त दोनों पॉलिसी को वित्तीय वर्ष 2009-10 में समाप्त करके उनके स्थान पर बजाज एलाइंज इन्श्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड की बेहतर विकल्प वाली जोखिम कवरींग पॉलिसी (Risk Covering Policy) संख्या-0153886653 उक्त वित्तीय वर्ष 2009-10 में ही माह फरवरी 2010 में ली गयी जिसका कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विवरण अपने समस्त सम्पत्ति विवरणपत्रों में दिया गया है। इस कारण उपरोक्त एल.आई.सी. पॉलिसियों का विवरण वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में नहीं दिया गया है।

2- उपरोक्त पत्र के बिन्दु सं.-2 में वित्तीय वर्षों 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में बचत एवं निवेश के बाद कमशः रुपये 67,438/- , रुपये 1,84,657/- एवं रुपये 1,76,792/- उपलब्ध होने तथा उक्त उपलब्ध राशि से घर के घरेलू खर्चों आदि (Household Expenditure) को चलाने के संबंध में सुसंगत कागजात के साथ स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है।

उपरोक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-2010 में दिनांक 06 जून, 2009 को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में प्रवेश किया था और उक्त दिनांक को न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद श्रावस्ती स्थान भिनगा के न्यायालय का पदभार

(2)

ग्रहण किया था। जनपद श्रावस्ती, जिसका मुख्यालय भिनगा तहसील में स्थित है, उत्तर प्रदेश का सबसे दुर्गम एवं पिछड़े इलाकों में से एक है। दिनांक 06.06.2009 से लेकर दिनांक 03.08.2011 तक अधोहस्ताक्षरी उक्त जनपद श्रावस्ती स्थान भिनगा में कार्यरत रहा है, जिनके संबंध में उपरोक्त वित्तीय वर्षों 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में मेरे द्वारा अपना घरेलू खर्चों को चलाये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण आहूत किया गया है।

यहां यह भी अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी उक्त वित्तीय वर्षों 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में अविवाहित (Bachelor) था। उपरोक्त वित्तीय वर्षों में अधोहस्ताक्षरी पर अपने अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति के पालन पोषण की जिम्मेदारी नहीं थी। अधोहस्ताक्षरी के पिता जनपद इटावा के प्रमुख अधिवक्ता थे (जिनका निधन वर्ष 2022 में हुआ)। वह अपने एवं अपने परिवार का पालन पोषण करने में पूर्ण सक्षम थे। अधोहस्ताक्षरी के अविवाहित होने एवं किसी अन्य व्यक्ति के उस पर आश्रित नहीं होने के तथ्य के बाबत अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त वित्तीय वर्षों के चल सम्पत्ति विवरणपत्रों के कॉलम सं.-2 में सम्यक जानकारी वर्णित की गयी है।

यहां यह भी अवगत कराना है कि उक्त जनपद श्रावस्ती स्थान भिनगा की स्थिति आज भी प्रदेश के दुर्गम एवं पिछड़े इलाकों में मानी जाती है। वर्ष 2009-2011 की अवधि में उक्त जनपद में जीवन निर्वाह हेतु प्रमुख आवश्यकतायें भोजन, कपड़ा एवं औषधि आदि भी आसानी से उपलब्ध नहीं थे। जनपद श्रावस्ती में अधोहस्ताक्षरी को टाइप-2 अथवा टाइप-3 आवास आवंटित रहे थे। ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त जनपद श्रावस्ती स्थान भिनगा में केवल जीवन निर्वाह ही किया गया था। अधोहस्ताक्षरी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अधोहस्ताक्षरी पूर्ण शाकाहारी है और समस्त व्यसनों से दूर रहते हुये **सादा जीवन उच्च विचार** के मूलमंत्र में विश्वास करता है। उपरोक्त वित्तीय वर्षों में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपलब्ध उपरोक्त धनराशि में किये गये जीवन निर्वाह (घरेलू खर्चों) के बाबत वर्षवार स्पष्टीकरण/आख्या निम्नवत वर्णित है :-

(i)- वित्तीय वर्ष 2009-10 में अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 06.06.2009 को न्यायिक सेवा में प्रवेश किया है। उससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी जनपद इटावा में एक अधिवक्ता के रूप में कार्यरत था। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति विवरण वित्तीय वर्ष 2009-10 के मात्र 09 माह एवं 25 दिन के संबंध में ही है। यहां यह भी अवगत कराना है कि माह जून 2009 का वेतन (Salary) जुलाई 2009 के तीसरे सप्ताह में प्राप्त हुआ था। माह जून 2009 एवं जुलाई 2009 के प्रारम्भ के 15 दिन अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपना गुजारा पिताजी द्वारा दिये गये भरण पोषण धनराशि रु. 5,000/- (रूपये पांच हजार मात्र) नगद से चलाना पड़ा था। (नवनियुक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में इस तथ्य से सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति भी अवगत होगा)। उक्त वित्तीय वर्ष में अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 18.08.2009 से 17.11.2009 तक नवनियुक्त सिविल जज (जू.डि.) के लिये न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (J.T.R.I.) गोमती नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित अनिवार्य Induction Training Programme (I.T.-1) First Phase में शामिल होकर न्यायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उक्त अवधि में अधोहस्ताक्षरी J.T.R.I. विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित संस्थान के छात्रावास में रहा है। उक्त छात्रावास में दिन के समस्त भोजन ( प्रातःकालीन चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, सायंकालीन चाय तथा रात्रिकालीन भोजन आदि ) आदि छात्रावास प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। तत्कालीन समय में उक्त समस्त भोजन का प्रतिदिन का व्यय रु. 120/- (रूपया एक सौ बीस मात्र) प्रति प्रशिक्षणार्थी निर्धारित था। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को संस्थान में मेस व्यय हेतु प्रतिमाह का रु. 4,000/- अग्रिम धनराशि के रूप में जमा करायी गयी थी। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को छात्रावास में रहना और मेस में भोजन करना अनिवार्य था। ( उक्त के संबंध में सुसंगत दस्तावेज संलग्न है )। यहां यह भी गौरतलब है कि जे.टी.आर.आई. में अवकाश नहीं दिया जाता था तथा घोर आकस्मिक स्थितियों में ही काफी प्रयत्न के बाद अवकाश अनुमत होता

*Shari*

(3)

था। ऐसी स्थिति में वित्तीय वर्ष 2009-10 के उपरोक्त 03 माह सहित अन्य महीनों में मात्र 5-6 हजार रुपये महीने में अधोहस्ताक्षरी का घरेलू खर्चा चल जाता था। उस समय नवनियुक्त अधिकारी होने एवं जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक वस्तुये आसानी से उपलब्ध नहीं होने के कारण अधोहस्ताक्षरी की आवश्यकतायें भी काफी सीमित थी। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों में मेरे द्वारा उपरोक्त वित्तीय वर्ष में दिनांक 06.06.2009 से लेकर दिनांक 31.03.2010 की अवधि में उपरोक्त वर्णित उपलब्ध धनराशि रुपये 67,438/- में आवश्यकतानुसार बड़ी आसानी से अपना जीवन निर्वाह किया गया था। उपरोक्त जीवन निर्वाह के संबंध में कोई भी शंका किया जाना मात्र शक एवं अनुमानों पर आधारित है।

(ii)- वित्तीय वर्ष 2010-11 में अधोहस्ताक्षरी के पास समस्त बचत एवं निवेश के बाद मुबलिग रुपये 1,84,657/- की धनराशि जीवन निर्वाह हेतु एवं आवश्यक खर्चों हेतु उपलब्ध थी। उक्त वित्तीय वर्ष 2010-11 में भी अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 18.05.2010 से 17.08.2010 तक नवनियुक्त सिविल जज (जू.डि.) के लिये न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (J.T.R.I.) गोमती नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित अनिवार्य Induction Training Programme (I.T.-1) Third Phase में शामिल होकर न्यायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उक्त अवधि में अधोहस्ताक्षरी J.T.R.I. विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित संस्थान के छात्रावास में रहा था। उक्त छात्रावास में दिन के समस्त भोजन ( प्रातःकालीन चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, सायंकालीन चाय तथा रात्रिकालीन भोजन आदि ) आदि छात्रावास प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। तत्कालीन समय में उक्त समस्त भोजन का प्रतिदिन का व्यय रु. 120/- (रुपया एक सौ बीस मात्र) प्रशिक्षणार्थी निर्धारित था। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को संस्थान में मेस व्यय हेतु प्रतिमाह का रु. 4,000/- अग्रिम धनराशि के रूप में जमा करायी गयी थी। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को छात्रावास में रहना और मेस में भोजन करना अनिवार्य था। ( उक्त के संबंध में सुसंगत दस्तावेज संलग्न है )। यहां यह भी गौरतलब है कि जे.टी.आर.आई. में अवकाश नहीं दिया जाता था तथा घोर आकस्मिक स्थितियों में ही काफी प्रयत्न के बाद अवकाश अनुमत होता था। ऐसी स्थिति में वित्तीय वर्ष 2010-11 के उपरोक्त 03 माह में मात्र 05-06 हजार रुपये महीने में अधोहस्ताक्षरी का घरेलू खर्चा चल जाता था। जबकि लखनऊ की तुलना में श्रावस्ती काफी पिछड़ा कस्बा है। नवनियुक्त अधिकारी होने एवं जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक वस्तुये आसानी से उपलब्ध नहीं होने के कारण अधोहस्ताक्षरी की आवश्यकतायें भी काफी सीमित थी। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों में मेरे द्वारा उपरोक्त वित्तीय वर्ष की सम्पूर्ण अवधि में उपरोक्त वर्णित उपलब्ध धनराशि रुपये 1,84,657/- में आवश्यकतानुसार बड़ी आसानी से अपना जीवन निर्वाह किया गया था। उपरोक्त जीवन निर्वाह के संबंध में कोई भी शंका किया जाना मात्र शक एवं अनुमानों पर आधारित है।

(iii)- वित्तीय वर्ष 2011-12 में अधोहस्ताक्षरी के पास समस्त बचत एवं निवेश के बाद मुबलिग रुपये 1,76,792/- की धनराशि जीवन निर्वाह हेतु एवं आवश्यक खर्चों हेतु उपलब्ध थी। उक्त वित्तीय वर्ष 2010-11 में अधोहस्ताक्षरी दिनांक 03.08.2011 तक जनपद न्यायालय श्रावस्ती स्थान भिनगा में कार्यरत रहा था। तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना दिनांकित 30.07.2011 के अनुपालन में उसके द्वारा दिनांक 05.08.2011 को न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद आगरा का पदभार ग्रहण किया था। इस प्रकार अधोहस्ताक्षरी उक्त वित्तीय वर्ष 2011-12 में दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 03.08.2011 तक जनपद न्यायालय श्रावस्ती में कार्यरत रहकर जनपद श्रावस्ती मुख्यालय भिनगा में निवास किया था, तत्पश्चात दिनांक 05.08.2011 से दिनांक 31.03.2012 तक जनपद न्यायालय आगरा में कार्यरत रहकर जनपद आगरा में निवास किया। जनपद श्रावस्ती स्थान भिनगा की जीवन निर्वाह की स्थितियों का उपरोक्त वर्णित प्रस्तर (i) एवं (ii) में वर्णन किया जा चुका है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जनपद श्रावस्ती मुख्यालय भिनगा की मेरे गृह जनपद इटावा से दूरी (Distance) लगभग

(4)

436 किमी. है। जबकि जनपद आगरा मेरे गृह जनपद इटावा से मात्र 120 किमी. दूर स्थित है। इस कारण जनपद आगरा से इटावा जाना मेरे लिये जनपद श्रावस्ती से स्थान भिनगा से इटावा जाने की तुलना में काफी सुगम हो गया था और इन यात्राओं में खर्च होने वाला यात्रा व्यय पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में काफी कम हो गया था। उपरोक्त वित्तीय वर्ष में भी अधोहस्ताक्षरी अविवाहित था उस पर अपने अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति के पालन पोषण की जिम्मेदारी नहीं थी। अधोहस्ताक्षरी पूर्ण शाकाहारी है और समस्त व्यसनों से दूर रहते हुये सादा जीवन उच्च विचार के मूलमंत्र में विश्वास करता है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त अवधि में जीवन निर्वाह करते हुए आवश्यकतानुसार ही आवश्यक वस्तुओं पर धनराशि खर्च की गयी है तथा फिजूलखर्ची से बचा गया है। उपरोक्त वित्तीय वर्ष में भी उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों में मेरे द्वारा उपरोक्त वित्तीय वर्ष की सम्पूर्ण अवधि में उक्त वर्णित उपलब्ध धनराशि रूपये 1,76,792/- में आवश्यकतानुसार बड़ी आसानी से अपना जीवन निर्वाह किया गया था। उपरोक्त जीवन निर्वाह के संबंध में कोई भी शंका किया जाना मात्र शक एवं अनुमानों पर आधारित है।

यह सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी के पिता के वर्ष 2016-17 में गंभीर रूप से बीमार होने एवं अधोहस्ताक्षरी के उनके चिकित्सीय उपचार में व्यस्त रहने एवं तत्पश्चात् स्थानान्तरण के बाद घरेलू सामान के परिवहन की प्रक्रिया में निवेश एवं सम्पत्ति आदि के कागजात/विवरणपत्र की पत्रावली अन्य घरेलू सामानों के साथ रख जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी उक्त सूचना/विवरण पूर्व में दाखिल नहीं कर सका। जिसके लिये अधोहस्ताक्षरी क्षमा प्रार्थी है। माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं० 14290/IV-3733/Admin (A-4) दिनांकित 03-11-2023 द्वारा अब उपरोक्त विवरण/सूचना मांगे जाने की जानकारी हुई, तब अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त वित्तीय वर्षों के संबंध में आवश्यक एवं सुसंगत सूचनाएं एवं दस्तावेजों को एकत्र कर यह स्पष्टीकरण/आख्या प्रेषित की जा रही है।

अतः महोदय से सादर विनम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त स्पष्टीकरण/आख्या को माननीय न्यायालय के समक्ष सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर ससम्मान सहित,

भवदीय,

Harish Prakash Gupta  
15.12.23

(हरि प्रकाश गुप्ता)

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(पॉक्सो अधिनियम), न्यायालय सं०-3 बरेली।

दिनांक- 15.12.2023

15.12.2023

संलग्नक-

J.O. Code—UP1709

(1)- जे.टी.आर.आई. लखनऊ में दिनांक 18.05.2010 से 17.08.2010 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के संबंध में संस्थान का पत्र, अधिकारियों की सूची, संस्थान का सामान्य निर्देश विवरण पत्र, प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, जे.टी.आर.आई. हास्टल की किराये की रसीदे, मेस की रसीदे आदि। (08 कागज)

(2)- जे.टी.आर.आई. लखनऊ में दिनांक 18.08.2009 से 17.11.2009 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के संबंध में संस्थान का पत्र, अधिकारियों की सूची, संस्थान का सामान्य निर्देश विवरण पत्र, प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, लिये गये आकस्मिक अवकाश का विवरण, जे.टी.आर.आई. हास्टल की किराये की रसीदे आदि। (07 कागज)